

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र संख्या-16/गो०विधि 06-05/2024-

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
उप सचिव-01 (प्रबंधन)

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद।

विषय:- दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन (Self Appraisal Report) आलेखित करने के संबंध में।

प्रसंग:- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का पत्रांक सह पठित ज्ञापांक-12396 दिनांक 08.07.2025 एवं विभागीय पत्रांक-3423 दिनांक-18.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा 31 जुलाई, 2025 तक अपने स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन (Self Appraisal Report) आलेखित कर प्रतिवेदक पदाधिकारी को Forward नहीं करने वाले प्रतिवेदित पदाधिकारियों का एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने संबंधी आदेश संसूचित है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि संलग्न सूची में अपने नियंत्रणाधीन पदाधिकारियों का 31 जुलाई, 2025 तक स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन (Self Appraisal Report) आलेखित कर प्रतिवेदक पदाधिकारी को Forward किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा प्रासंगिक पत्र से प्राप्त निदेश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(शैलेश कुमार)

उप सचिव-01 (प्रबंधन)

पत्र संख्या-16/गो०विधि 06-05/2024-

3557

पटना/दिनांक-

28/07/2025

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई०टी० सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं आई०टी० मैनेजर को संबंधित पदाधिकारी के ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

25/7/25

उप सचिव-01 (प्रबंधन)

PAR PENDING FOR SELF APPRAISAL AS ON 23/7/2025 (BES & BSES SERVICES)				
CE Zone - AURANGABAD				
S.No	PAR ID	Officer Name		Officer Code
1	2025-01042024-14012025-2463848	RAJ KUMAR		BSESJ9727
2	2025-01042024-02072024-2851216	RANJEET KUMAR		BSESJ10353
	2025-03072024-31032025-2851216			

